न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/198

घासी आत्मज मूला जाति गूर्जर निवासी ग्राम बन्धा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा
2. वन विभाग जर्ये वन अधिकारी, कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री असलम अंसारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.02.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 88A/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 134 की 161 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में से 10 बीघा भूमि एडवाईजरी कमेटी के आदेश दिनांक 30.07.1967 के अनुसार वादी को आवंटित हुई थी। नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 31.03.1970 से उक्त आराजी वादी के नाम बहैसियत खातेदार रेवेन्यु रिकॉर्ड में अमल दरामद की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि वादी के नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज हुई जिसका उल्लेख जमाबंदी सम्वत् 20782 से 2031 एवं सम्वत् 2032 से 2035 में किया गया है। वादी अपने कब्जे काश्त की उक्त आवंटनशुदा भूमि का एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार कृषक वर्तमान में है। वादी को आवंटित उक्त भूमि के खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय है। सम्वत् 2038 में हुए सेटलमेंट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग ने भूलवश या लापरवाही से रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादी को आवंटित भूमि वादी के नाम बहैसियत खातेदार कृषक अमल दरामद कर उसके नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये। भूमिधारी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये भू–राजस्व नियमों के अनुसार सेटलमेंट को दौराने बन्दोबस्त राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति को ही अक्षरक्षः दोहराना लाजमी हे। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने जानबूझकर या लापरवाही से त्रुटि करते हुए वादी को आवंटित उक्त वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा वाके ग्राम आवंली को सेटलमेंट के बाद रेवेन्यु रिकॉर्ड में

सेटलमेंट से पूर्व के रेवेन्यु रिकॉर्ड के अनुसार पुनरावृति कर उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये। इस कारण वर्तमान में वादी को आवंटित उक्त भूमि का न तो रेवेन्यु रिकॉर्ड में ही उल्लेख है और ना ही वादी को आवंटित उक्त भूमि का मिलान क्षेत्रफल ही उपलब्ध है। वादी ने प्रथमतः दिनांक 22.12.2006 को धारा 80 सीपीसी के तहत आवश्यक एक नोटिस प्रतिवादी को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति हो जाने के बावजूद प्रतिवादी ने कोई सुनवाई नहीं करने पर दिनांक 24.01.2007 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी को आवंटित भूमि पर सन् 1967 से आज तक वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेंट द्वारा की गई उक्त त्रुटि की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12.12.2006 को हल्का पटवारी से उक्त भूमि की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल की नकल बनाकर देने हेतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त त्रुटि बाबत बताने पर दिनांक 21.02.2006 को हुई। अन्त में विवादित आराजी खसरा नम्बर 134/5 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम आवंली के नये खसरा नम्बर कायम किये जाकर सेटलमेंट से पूर्व के रिकॉर्ड के अनुसार वादी को उक्त भूमि का रेवेन्यु रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार कृषक अमल दरामद किए जाने तथा वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं करने बाबत प्रतिवादी को निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधिनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश एवं डिक्री की पालना किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य

की और कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित खसरा नम्बर 134 रकबा 161 बीघा 19 बिस्वा में से 10 बीघा आराजी अपीलान्ट को दिनांक 30.07.1967 को आवंटन की गई बाद आवंटन इंतकाल नम्बर 41 दिनांक 21.03.70 को गैरखातेदारी में अपीलान्ट के नाम दर्ज की गई तब से लेकर आज तक अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जो राजस्व रिकॉर्ड में 134/6 रकबा 10 बीघा गैरखातेदारी मे दर्ज की जिसे अपीलान्ट के नाम खातेदारी में बाद में दर्ज की। तहसील लाडपुरा में हाल सेटलमेन्ट बाद अपीलान्ट की आराजी का मिलान क्षेत्रफल त्रुटि पूर्ण रूप से नही बनाकर अपीलान्ट के नाम आराजी दर्ज नही की जिस पर अपीलान्ट को परेशानी होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2007 में वाद प्रस्तुत किया तब से लेकर अपीलान्ट अधिकार प्राप्ति के लिये न्यायालय के चक्कर काटने के लिये मजबूर होना पड रहा है जिसकी और राजस्व कर्मचारियो का कोई ध्यान नही है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार भी अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 162 व 211 पर पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को जहां पर जो आराजी आवंटन की गयी उसी पर अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा है, अपीलान्ट अनपढ गरीब भूमिहीन व्यक्ति है जो पढना लिखना नही जानता है और न ही नकले आदि मे समझता है। जहां कब्जा दिया वही आज भी काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट को काबिज काश्त होना माना है फिर भी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट का कब्जा होना माना है और अपीलान्ट के वाद का रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकॉर्ड / जवाब से खण्डन नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली आने के बाद भी अप्रार्थी को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं करने के बाद भी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि सेटलमेन्ट के दौरान अपीलान्ट की आराजी का मिलान क्षेत्रफल नही बनाया गया तो उसमे अपीलांट की क्या गलती है। सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियो द्वारा किया गया है और राजस्व कर्मचारियो द्वारा ही मिलान क्षेत्रफल बनाया जाना था किन्तु उसका दोषी होना अपीलान्ट को मान लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। राज्य सरकार एक तरफ गरीब व्यक्तियो के नाम जमीन आवंटन करती है, उक्त जमीन पर आवंटी मविष्य जीवन के लिये मेहनत मजदूरी कर और रात दिन एक कर आवंटित आराजी को कृषि योग्य बनाता है, पानी की व्यवस्था करता है, काफी पैसा खर्च करने के बाद भी अर्थात 67 के आवंटन के बाद खातेदारी को वर्ष 2024 में निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर देती है इस प्रकार 57 वर्ष बाद अपीलान्ट के आवंटन को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जाता है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है और राजस्व कर्मचारियो की कार्य प्रणाली पर गम्भीर प्रश्न उत्पन्न करती है। आखिर काश्तकार जाए तो कहां, किससे न्याय की गुहार करे। उक्त सभी प्रश्नो पर गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट के नाम अन्य आराजी जो अधीनस्थ न्यायालय में दावा जेरकार है को आधार मानकर दावा खारिज कर दियाजो त्रुटि पूर्ण है। अन्य आराजी के संबंध में अपीलान्ट को विधिक अधिकारो का हनन होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना पड़ा। अगर अपीलान्ट अन्य वाद प्रस्तुत नही करता तो क्या अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट की आराजी का ध्यान था। फिर केसे अपीलान्ट की आराजी का वाद खारिज करती। अन्य आराजी का वाद पृथक से अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार चला आ रहा है। या तो दोनो दावो को एक साथ कर

दोनो दावो को एक साथ खारिज करती। इस प्रकार विधिक प्रावधानो को समझे बिना ही दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नही दिया कि अपीलान्ट के अलावा रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये और न ही जवाब दावा ही प्रस्तुत किया है और न ही अपीलान्ट से जिरह की गयी है किन्तु फिर भी सरकार पक्ष को किसी प्रकार से हानि नहीं हो जावे इस पक्ष को मध्य नजर रखते हुए रेस्पोडेन्ट की और से कोई भी उपस्थित नही होने और न ही बहस करने के बावजूद भी दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि जब अपीलान्ट को 10 बीघा जमीन आवंटन कर खातेदारी दी गई जिस पर सेटलमेन्ट कार्य किया गया 10 बीघा जमीन बडी होती है छोटी नही। फिर भी आवंटन आराजी का मिलान क्षेत्रफल तैयार नही किया गया और अपीलान्ट जिस आराजी पर काबिज है उसको वन विभाग के नाम दर्शा दिया गया जो नियमो का उल्लंघन है जिसके तहत सेटलमेन्ट कर्मचारियो को दण्डित किया जाना न्यायोचित रहा है, किन्तु फिर भी सेटलमेन्ट कर्मचारियो के कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4, वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित कर देने के बाद भी वादी का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में वन विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपीलांट वर्तमान में किस खसरा नम्बर की भूमि पर स्वयं का हक अधिकार मानता है इसका अंकन वादी अपीलांट ने अपने वादपत्र एवं अपील में अंकित नहीं किया है। वादी अपीलांट द्वारा स्वयं की आवंटनशुदा भूमि का कोई मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि अपीलांट किस खसरा नम्बर की भूमि पर स्वयं का हक अधिकार निहित होना मानता है। अपीलांट ने स्वयं को खसरा नम्बर 162 व खसरा नम्बर 211 की भूमि पर काबिज होने का कथन किया है परन्तु उक्त भूमि अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि नहीं है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 162 व खसरा नम्बर 211 की भूमि वन विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वन भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को साबित करने में अपीलांट वादी पूर्णतया असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। तथा प्रत्येक तनकी पर निष्कर्ष पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 134 रकबा 161 बीघा 19 बिस्वा भूमि पूर्व में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी तथा नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 के द्वारा उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 134/6 की रकबा 10 बीघा भूमि वादी घांसी वल्द मूला को दिनांक 30.07.1967 को आवंटित की गई। जमबंदी सम्वत् 2028 से 2031 एवं जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा की भूमि घासी पुत्र मूला गूजर साकिन बन्दा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 134 रकबा 161 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि वादी अपीलांट को आवंटन आदेश दिनांक 30.07.1967 को आवंटित की गई है तथा उक्त भूमि के बटा नम्बर 134/6 कायम किए गए है। साथ ही उक्त आवंटन आदेश दिनांक 30.07.1967 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होकर प्रश्नगत भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज हुई है तत्पश्चात नामान्तरकण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 से प्रश्नगत खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि वादी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हुई है। अपीलांट का तर्क है कि सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से वादग्रस्त भूमि को अपीलांट की खातेदारी से हटाया दिया तथा उक्त भूमि का कोई मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन खसरा नम्बर भी कायम नहीं किया गया है। वादी अपीलांट ने स्वयं की आवंटनशुदा खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने का कथन किया है तथा प्रश्नगत वाद में उक्त आवंटनशुदा भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20.01.2008 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि की गत नक्शे में तरमीम नहीं होने तथा भू–प्रबन्ध द्वारा खसरा नम्बर 134/6 का नया नम्बर कायम नहीं किए जाने का अंकन है। साथ ही उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.01.2008 में वादी अपीलांट खसरा नम्बर 162 रकबा 0.65 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 0.95 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होने तथा उक्त भूमि वन विभाग की खातेदारी में दर्ज होने का अंकन है। अतः हमारे मत में वादी अपीलांट के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 162 व 211 की भूमि के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक था। चूंकि प्रश्नगत खसरा नम्बर 162 व 211 की भूमि वन विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा वन विभाग प्रकरण में पक्षकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 वन विभाग से कोई जवाब नहीं लिया गया। हमारे मत में प्रतिवादी संख्या 2 वन विभाग से जवाब प्राप्त किया जाना आवश्यक था। साथ ही यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक था कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 162 व 211 की भूमि वन विभाग के खाते में किस प्रकार से खाते दर्ज हुई। हमारे मत में प्रश्नगत खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि है जो अपीलांट को आवंटन आदेश दिनांक 30.07.1967 से आवंटित हुई है तथा नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 के द्वारा अपीलांट के खाते दर्ज हुई है। प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 30.07.1967 एवं नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 को चुनौती दिए जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत आवंटन आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 आज भी अस्तित्व में है। हमारे मत में अपीलांट सद्भावी आवंटी है अतः अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि के सम्बंध में अपीलांट के हक अधिकार निहित होना प्रकट होता है। परन्तु हमारे मत में अपीलांट की आवंटनशुदा प्रश्नगत खसरा

नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि के सम्बंध में अपीलांट के हक अधिकारों का निर्धारण अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 88A/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा